न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 139 / 2024

सी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024 / 407

वादी	बनाम	प्रतिवादी
मांगाराम पुत्र पुनमाराम जाति जाट निवासी मूल की ढाणी तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर 2.भोलाराम पुत्र पुनमाराम जाति जाट निवासी मूल की ढाणी तहसील कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

1. श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता वादी
2. श्री जालमसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02
3. प्रतिवादी संख्या 01 अनुपस्थित

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक 08.11.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादी व प्रतिवादी संख्या 02 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम मूल की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1147,1169,1170,1171,1289/1178 व 251 कुल क्षेत्रफल 4.6863 हैक्टयर एंव ग्राम कोरणा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1382 व 713 कुल क्षेत्रफल 2.0558 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। विवादित आराजी में प्रार्थी का अशुद्व नाम मांगालील दर्ज हो रखा है,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मांगाराम है। विवादित आराजी में अशुद्व नाम की प्रविष्टि होने के कारण प्रार्थी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है,जिसके कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अंत प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी में दायर अशुद्व प्रविष्टि मांगीलाल के स्थान पर मांगाराम दुरूस्त करवानें हेतु वाद-पत्र पेश किया गया है।

2.वादी का वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया। प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुई। अधिवक्ता श्री जालमसिंह द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा साथ ही इकबाली जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

3.प्रतिवादी की ओर से इकबाली जवाब पेश किए जाने के कारण तनकीयात कायम की आवश्यकता नहीं रही। वादी के वाद–पत्र का वांछित अनुतोष ही तनकीयात समझी गई। वादी साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–1 मांगाराम द्वारा बयानात करवाई गए,जो कलमबद्ध कर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य नहीं करवाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 02 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम मूल की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1147,1169,1170,1171,1289/1178 व 251 कुल क्षेत्रफल 4.6863 हैक्टयर एंव ग्राम कोरणा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1382 व 713 कुल क्षेत्रफल 2.0558 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। वादी का घरेलू बोलचाल भाषा में मांगाराम बोलने के कारण रेकर्ड में अशुद्व इन्द्राज हो रखा है,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज किया गया है,जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में वादी का वास्तविक नाम मांगाराम दर्ज है,लेकिन विवादित आराजी में वादी का अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाम प्राप्त नहीं हो रहा है। विवादित आराजी में वादी का वास्तविक नाम मांगाराम के स्थान पर गलत नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अंत में निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में वादी का अशद्व नाम मांगीलाल के स्थान पर मांगाराम दुरूस्त किए जाने के आदेश किए जावें।

5.प्रतिवादी संख्या 02 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 02 सगे भाई है। विवादित आराजी इनकी संयुक्त खातेदारी मे अवस्थित है। वादी का वास्तविक नाम मांगाराम है,लेकिन रिकॉर्ड में अशुद्व नाम दर्ज हो रखा है। अंत में निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में अशुद्व प्रविष्टि मांगीलाल के स्थान पर मांगाराम दुरूस्त की जाती है,तो प्रतिवादी को आपति नहीं है।

6 हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम मूलकी ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1147,1169,1170,1171,1289/1178 व 251 कुल क्षेत्रफल 4.6863 हैक्टयर एंव ग्राम कोरणा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1382 व 713 कुल क्षेत्रफल 2.0558 हैक्टयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 02 की सहखातेदारी में अवस्थित है,जिसमें वादी का नाम मांगीलाल दर्ज है,जो कि वादी द्वारा अशुद्व होना बताया है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श दस्तावेजी साक्ष्य में आधारकार्ड प्रति,वोटरकार्ड,जन–आधार कार्ड,परिवार राशन कार्ड,बैक डायरी एस.बी.बी.जे.शाखा कोरणा में वादी का नाम मांगाराम दर्ज है। विवादित आराजी के सहखातेदार भोलाराम द्वारा अपने इकबाली जवाब में स्वीकार किया है कि वादी का उसका सगा भाई लगता है तथा वादी का विवादित आराजी मे अशुद्व नाम दर्ज हो रखा है,जबकि वास्तविक नाम मांगाराम है। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है,तो प्रतिवादी को आपति नहीं है। इसी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रकार वादी व प्रतिवादी संख्या 02 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम मूलकी ढाणी की खसरा संख्या 1113 रकबा 34.16 बीघा भूमि में वादी का नाम मांगाराम पुत्र पुनमाराम दर्ज है। उपरोक्त साक्ष्य सबूतो से साबित होता है कि वादी का विवादित आराजी मे अशुद्व प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है। वादी अपना वास्तविक नाम मांगाराम दुरुस्त करवाने का हकदार है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादी का विवादित आराजी में अशुद्व नाम इन्द्राज हो रखे है,जो कि वादी की ओर से अपने दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से साबित भी किया है। इस प्रकार वादी अपना वाद–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में वादी का वाद–पत्र स्वीकार योग्य है।

7.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि वादी विवादित भूमि में अपनें अशुद्व नाम दुरूस्त करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:निर्णयः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–पत्र वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–मूलकी ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1147, 1169, 1170, 1171,1289/1178 व 251 कुल क्षेत्रफल 4.6863 हैक्टयर एंव ग्राम कोरणा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1382 व 713 कुल क्षेत्रफल 2.0558 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में वादी के नाम की अशुद्व प्रविष्टि मांगीलाल पुत्र पुनमाराम के स्थान पर सही नाम मांगाराम पुत्र पुनमाराम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 08.11.24 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

08/11/24

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 139 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 407

वादी	बनाम	प्रतिवादी
मांगाराम पुत्र पुनमाराम जाति जाट निवासी मूल की ढाणी तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर 2.भोलाराम पुत्र पुनमाराम जाति जाट निवासी मूल की ढाणी तहसील कल्याणपुर

राजस्व वाद बाबतः–88 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :–08.11.2024

वादी की ओर से श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री जालमसिंह की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 01 अनुपस्थित इस वाद में आज तारीख 08.11.2024 को श्री अशोककुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादी वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–मूलकी ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1147, 1169, 1170, 1171,1289 / 1178 व 251 कुल क्षेत्रफल 4.6863 हैक्टयर एंव ग्राम कोरणा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1382 व 713 कुल क्षेत्रफल 2.0558 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में वादी के नाम की अशुद्व प्रविष्टि मांगीलाल पुत्र पुनमाराम के स्थान पर सही नाम मांगाराम पुत्र पुनमाराम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह आज तारीख 08.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	------
6.कमिश्नर की फीस	–	6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	–	जोड़	-----

08.11.2024

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा